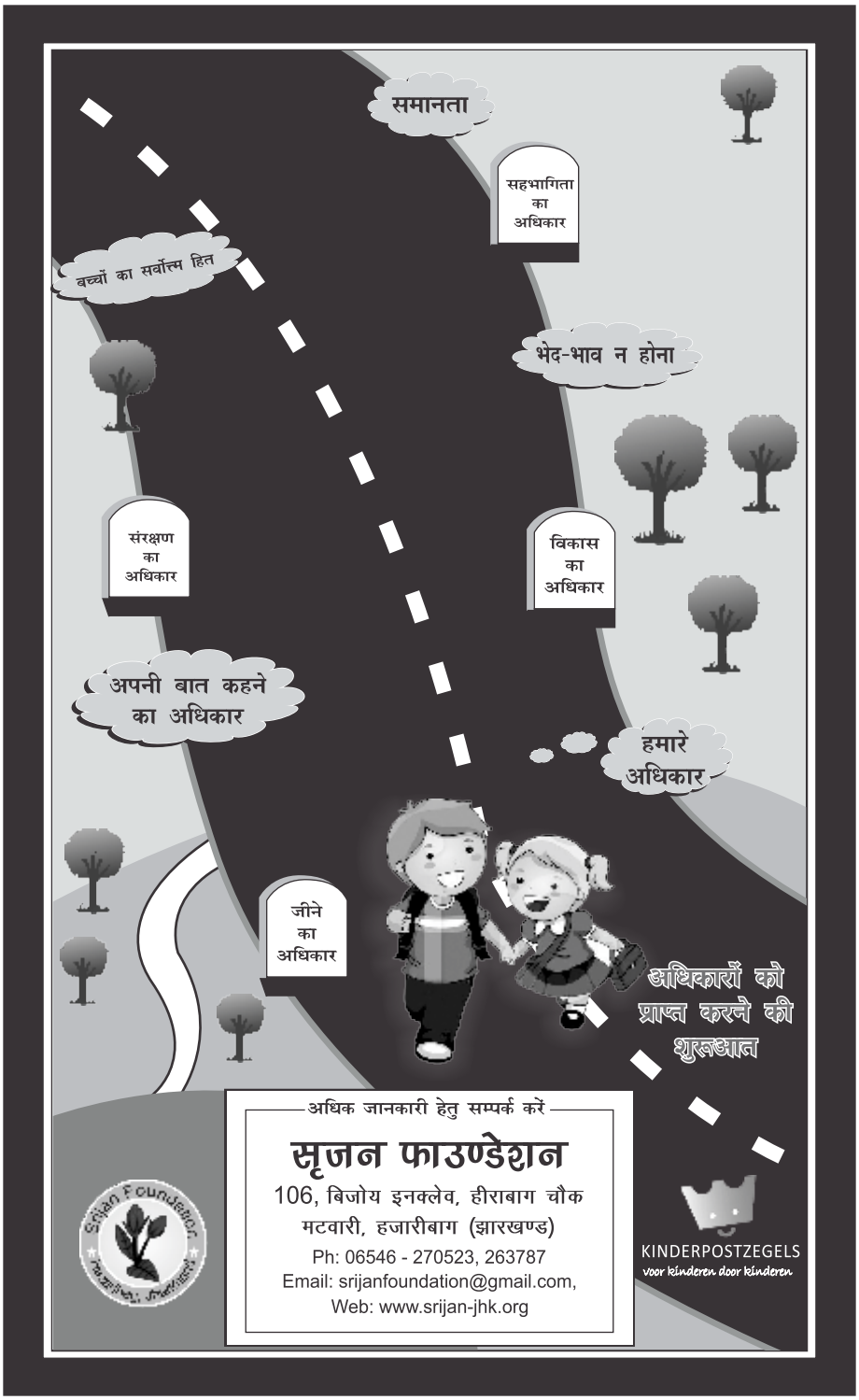
समानता
सहभागिता का अधिकार
बच्चों का सर्वोत्म हित
भेद-भाव न होना
संरक्षण का अधिकार
विकास का अधिकार
अपनी बात कहने का अधिकार
हमारे अधिकार
जीने का अधिकार
अधिकारों को प्राप्त करने की शुरुआत
अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें
सृजन फाउण्डेशन
106, बिजोय इनक्लेव, हीराबाग चौक
मटवारी, हजारीबाग (झारखण्ड)
Ph: 06546 - 270523, 263787
Email: srijanfoundation@gmail.com,
Web: www.srijan-jhk.org
KINDERPOSTZEGELS
voor kinderen door kinderen

परिवार हर बच्चे का अधिकार परिवार हर बच्चे का अधिकार परिवार हर बच्चे का अधिकार

पालन पोषण देखभाल गोद लेने से कैसे अलग हैं?

पालन पोषण देखभाल (Foster Care)

- बच्चों को एक परिवार आधारित देने वाली व्यवस्था।
- बच्चों के जैविक माता–पिता ना होने की दशा में परिवार आधारित देखभाल के लिए अन्य परिवार में भेजा जाता है।
- यहाँ बच्चे आवश्यकतानुसार व 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक रह सकते हैं।
- परिवार का बच्चे पर व बच्चे का परिवार की संपत्ति पर कोई कानूनी अधिकार नहीं होता।

गोद लेना (Adoption)

- बच्चों को परिवार आधारित देखभाल देने वाली स्थायी व्यवस्था।
- परिवार का बच्चे पर कानूनी अधिकार होता है
- यहाँ बच्चे आवश्यकतानुसार व 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक रह सकते हैं।
- बच्चे का परिवार की संपत्ति पर पूरा कानूनी अधिकार नहीं होता है।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें

सृजन फाउण्डेशन

106, बिजोय इनक्लेव, हीराबाग चौक
मटवारी, हजारीबाग (झारखण्ड)
Ph: 06546 - 270523, 263787
Email: srijanfoundation@gmail.com,
Web: www.srijan-jhk.org

KINDERPOSTZEGELS
voor kinderen door kinderen

परिवार हर बच्चे का अधिकार परिवार हर बच्चे का अधिकार परिवार हर बच्चे का अधिकार

परियोजना का उद्देश्य

- देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए वैकल्पिक देखभाल को बढ़ावा देना
- वैकल्पिक देखभाल को बढ़ावा देने के लिए सेवा दाताओं एवं कर्मचारियों की क्षमता का निर्माण करना
- झारखण्ड राज्य में वैकल्पिक देखभाल मॉडल स्थापित करने के लिए नेटवर्क बनाना

देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों तक पहुँच –

कुल पंचायत –10

कुल गाँव – 19

कुल बच्चे – 62 (**लड़का** – 30, **लड़की** – 32)

रिश्तेदारी देखभाल	पारिवारिक देखभाल	स्वतंत्र रूप से	फोस्टर केयर
12	47	03	00

क्रियान्वयन की प्रक्रिया

1. अनाथ व कठिन परिस्थिति में रहने वाले बच्चों की पहचान करना।
2. बाल कल्याण समिति के समक्ष बच्चे को प्रस्तुत करना।
3. गृह अध्ययन करना एवं बाल कल्याण समिति के सलाह के अनुसार बच्चे का व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार करना।
4. बच्चे एवं सेवा प्रदाता के साथ विचार –विमर्श कर सुरक्षित स्थान पर रखने की व्यवस्था करना।
5. बच्चे के जरूरत के अनुसार सेवा प्रदान करना।
6. नियमित देखरेख एवं जाँच करना।
7. बच्चे की प्रगति का दस्तावेजीकरण करना व सेवा प्रदाता के साथ साझा करना।
8. सीख के आधार पर योजना तैयार करना।

क्या आप जानते हैं?

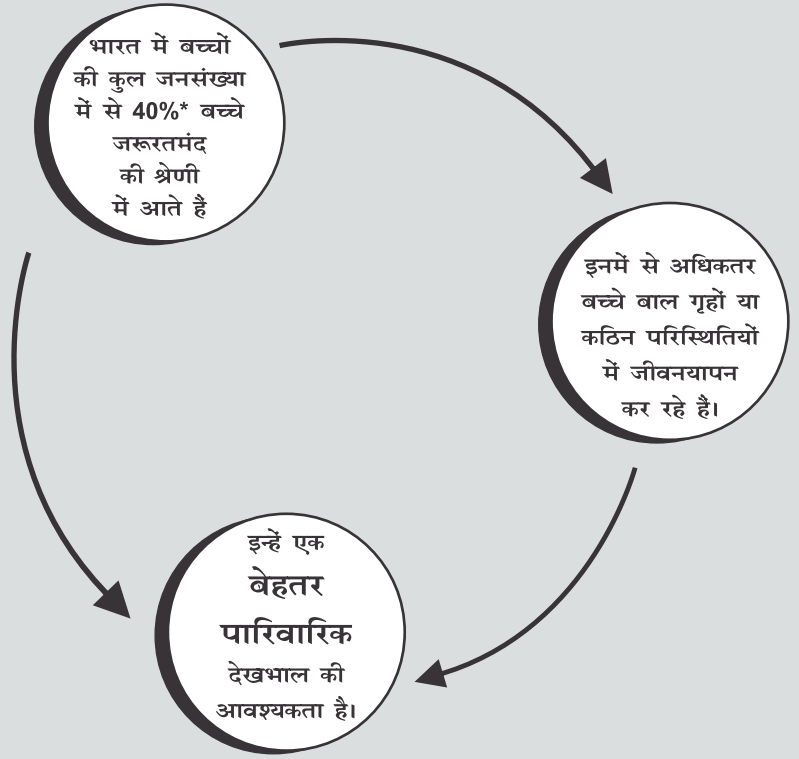

हम सब मिलकर पालन-पोषण देखभाल के माध्यम से इन बच्चों को अपने परिवार में रख कर उनका बचपन संवार कर एक बेहतर जीवन प्रदान कर सकते हैं।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें

KINDERPOSTZEGELS
voor kinderen door kinderen

सृजन फाउण्डेशन

106, बिजोय इनक्लेव, हीराबाग चौक मटवारी, हजारीबाग (झारखण्ड)
Ph: 06546 - 270523, 263787
Email: srijanfoundation@gmail.com, Web: www.srijan-jhk.org

परिवार आधारित देखभाल के विकल्प

1. परिवार परिरक्षण

जैविक माता-पिता/केवल पिता/केवल माता के साथ रहने वाले बालक/बालिका का किसी भी कारण से संस्थानों (बालगृह) में जाने से बचाव के लिए किये गये प्रयास को परिवार परिरक्षण कहते हैं। यह तीन प्रकार से किया जाता है।

1. परामर्श 2. प्रशिक्षण 3. प्रायोजित देखभाल

2. पालन पोषण देखभाल

परिवार आधारित देखभाल देने वाली व्यवस्था जिसमें बालक–बालिका के जैविक माता–पिता के ना होने की दशा में बेहतर परवरिश के लिए किसी अन्य परिवार में रहता है। पालन–पोषण देखभाल दो तरह की होती है:–

रिश्तेदारी देखभाल- जब किसी जरूरतमंद अथवा अनाथ बच्चे को उसी के किसी सम्बन्धी, जिनसे पारिवारिक सम्बन्ध होता है, जैसे चाचा–चाची, मामा–मामी, नाना–नानी, बुआ–फुफा, मौसी–मौसा आदि के पास परवरिश के लिए रखा जाता है, तो इस प्रकार की देखभाल को रिश्तेदारी देखभाल कहते हैं।

गैर रिश्तेदारी देखभाल- इस प्रकार की देखभाल में बच्चे की देखरेख करनेवाले परिवार का बच्चे से पारिवारिक सम्बन्ध नहीं होता है। वह समाज का कोई भी परिवार हो सकता है।

3. पश्चातवर्ती देखभाल

संस्थाओं में रहने वाले बालक/बालिका को 18 वर्ष की आयु के बाद आत्मनिर्भर बनाने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण, तकनीकि और उच्च शिक्षा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दी जाती है।

4. गोद लेना

किसी जरूरतमंद बच्चे जिसके माता–पिता की मृत्यु हो गई या माता–पिता द्वारा त्याग दिया गया हो या बच्चा मूल माता–पिता से बिछड़ गया हो, आदि ऐसे बच्चों को स्थायी समाधान हेतु परिवार प्रदान किया जाता है।